प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

प्रश्न: 1. प्रधानमंत्री जन-धन योजना क्या है?

उत्तर. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय मिशन के रूप में प्रारम्भ की गयी एक योजना है जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं, अर्थात् बैंकिंग / बचत और जमा खाते,धन प्रेषण, ऋण, बीमा व पेंशन इत्यादि की सुविधा सहजतापूर्वक उपलब्ध कराना है।

प्रश्न 2. प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) पूर्व वित्तीय समावेशन योजना (स्वाभिमान) से किस प्रकार अलग है?

उत्तर. PMJDY का लक्ष्य परिवारों को कवर करना है जबकि स्वाभिमान योजना में गांवों को कवर किया जाना था। PMJDY के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कवरेज के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों का कवरेज भी शामिल है। पूर्व योजनांतर्गत -2000- से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को कवर करने का लक्ष्य था जबकि PMJDY के तहत देश के प्रत्येक उप सेवा क्षेत्र (SSA) में 5 किमी के दायरे में आने वाले 1000-1500 परिवारों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करना है।

प्रश्न 3. क्या प्रधानमंत्री जन -धन योजना में संयुक्त खाता खोले जा सकते हैं?

उत्तर. हाँ, संयुक्त खाता खोला जा सकता है.

प्रश्न 4. इस योजना के अंतर्गत, मैं अपना खाता कहाँ खोल सकता हूँ?

उत्तर. खाता किसी भी बैंक शाखा या बैंक मित्र (व्यवसाय प्रतिनिधि) आउटलेट में खोला जा सकता है.

प्रश्न 5.. BSBDA मूल बचत बैंक जमा खाता (Basic Savings Bank Deposit Account) क्या होता है?

उत्तर. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 10.08.2012 द्वारा बेसिक बचत बैंक जमा खाता (BSBDA) को परिभाषित किया है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न हैं:

- न्यूनतम राशि की कोई आवश्यकता नहीं है.

• उपलब्ध सेवाएं - बैंक शाखा के साथ ही एटीएम में नकद जमा एवं निकासी की सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान चैनल के माध्यम से धराशि का जमा अथवा चेक जमा/संग्रहण का कार्य

• एक माह में अधिकतम -4- बार निकासी (ए.टी.एम. से निकासी भी शामिल). जमा करने हेतु कोई सीमा नहीं।

• एटीएम कार्ड या एटीएम-कम-डेबिट कार्ड की सुविधा.

• उपरोक्त सभी सुविधाएं बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध हैं।

Q.6. बैंक द्वारा किसी एकल व्यक्ति का मूल बचत बैंक जमा खाता (BSBDA) खोलने के लिए उम्र, आय, धनराशि आदि पर किसी तरह के प्रतिबंध के मापदंड हैं?

उत्तर. 10 वर्ष की आयु से ऊपर कोई भी व्यक्ति मूल बचत बैंक जमा खाता (BSBDA) खाता खोल सकता हैं।

Q.7. रुपे डेबिट कार्ड क्या है?

उत्तर. रुपे डेबिट कार्ड, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा लागू एक स्वदेशी घरेलू डेबिट कार्ड है। यह कार्ड नकद आहरण हेतु सभी एटीएम और देश में ज्यादातर पीओएस मशीन (क्रय हेतु नकद रहित भुगतान करने के लिए) पर स्वीकार्य है।

Q.8. पिन संख्या क्या है?

उत्तर. एटीएम मशीन से पैसे निकालने के समय और पीओएस मशीन पर भुगतान करने के समय एटीएम कार्ड के इस्तेमाल हेतु बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये कोड को व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन) कहते हैं।

प्र 9. अपना रुपे कार्ड कैसे सुरक्षित रखें?

उत्तर. लाभार्थी अपने रुपे कार्ड को अपनी सुरक्षा में रखें। पिन लगातार अंतराल पर बदलते रहना चाहिए और किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। एटीएम मशीन या पीओएस पर कार्ड का प्रयोग करते समय कोई भी पिन नंबर के बारे में अनुमान लगा सकता है अतः पिन गोपनीय तरीके से मशीन में दर्ज किया जाना चाहिए। जहां तक संभव हो, कार्ड केवल अधिकृत स्थानों /

केन्द्रों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा पिन नंबर कार्ड पर कभी नहीं लिखा जाना चाहिए।

Q.10. रुपे डेबिट कार्ड का विशेष लाभ क्या है?

उत्तर. यह कार्ड ग्राहक को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ` 1.00 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है।

Q.11. क्या निरक्षर ग्राहकों को भी रुपे कार्ड जारी किए जा सकते हैं?

उत्तर. हाँ, हालांकि, शाखा प्रबंधक को रुपे कार्ड जारी करते समय निरक्षर खाता-धारक को सभी संबंधित जोखिमों व सावधानियों के विषय में विस्तार से बता देना चाहिये।.

Q.12. बैंक खाते से मोबाइल नंबर को कैसे लिंक करें (जोड़ें)?

उत्तर. खाता धारक का मोबाइल नंबर खाता खोलने के फार्म में दी गई जानकारी के आधार पर बैंक द्वारा सीबीएस प्रणाली में ग्राहक के खाते में दर्ज किया जाता है.। इसके अलावा, मौजूदा खातों में भी एटीएम, पंजीकृत मोबाइल, नेट-बैंकिंग द्वारा एसएमएस या शाखा में एक प्रार्थना पत्र देकर भी यह कार्य किया जा सकता है।

प्रश्न 13. डेबिट कार्ड को कैसे परिचालित रखा जाए?

उत्तर. दुर्घटना बीमा कवर का लाभ पाने के लिये रुपे डेबिट कार्ड का प्रयोग 45 दिनों में कम से कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए।

Q.14. डेबिट कार्ड की वैधता कब तक होती है और इसका नवीवीकरण कैसे कराया जाता है?

उत्तर. डेबिट कार्ड समाप्ति की तारीख कार्ड पर ही दर्ज होती है। खाता-धारक को उसकी / उसके मौजूदा कार्ड की समाप्ति की तिथि से पहले संबंधित बैंक में नया कार्ड जारी करने हेतु आवेदन पत्र दे देना चाहिये।

Q.15. किसी के दो या अधिक खाते व रुपे डेबिट कार्ड होने पर क्या दुर्घटना बीमा प्रत्येक खाते/कार्ड पर उपलब्ध होगा?

उत्तर. दुर्घटना बीमा कवर केवल एक खाते में उपलब्ध होगा।

Q.16. पीओएस मशीन क्या है?

उत्तर. पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) एक छोटा उपकरण(साधन) है जो लगभग सभी व्यापार केन्द्रों द्वारा अपने ग्राहकों को बिना नकद क्रय करने की सुविधा प्रदान करने हेतु स्थापित की जाती है।

Q.17. यदि किसी व्यक्ति का पहले से किसी बैंक में एक बैंक खाता है तो क्या प्रधानमंत्री जन - धन योजना (PMJDY) के तहत दुर्घटना बीमा लाभ पाने के लिए एक और खाता खोलने की आवश्यकता है?

उत्तर. यदि किसी व्यक्ति का पहले से किसी बैंक में एक बैंक खाता है तो उसे PMJDY के तहत एक अलग खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। उसे दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने मौजूदा खाते में रुपे कार्ड जारी कराना होगा। यदि खाते का संचालन संतोषजनक होगा तो उसे मौजूदा खाते में ऋण सुविधा प्रदान की जा सकती है।

Q.18. PMJDY के तहत बैंक खाते में ` 5000/- के ओवरड्राफ्ट की अवधारणा है और यह सुविधा किसके लिए उपलब्ध है?

उत्तर. PMJDY के तहत प्रति परिवार एक खाता धारक द्वारा खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने के उपरांत ` **5000/-** तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। इस सुविधा हेतु आधार संख्या देना आवश्यक होगी। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तो बैंक हितग्राही (खाताधारक) से अतिरिक्त सावधानी के रूप में इस आशय का एक घोषणा पत्र ले लेगा।

प्र 19. क्या ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ एक से अधिक खाते में उठाया जा सकता है?

उत्तर. प्रति परिवार केवल एक खाते में वह भी विशेष रूप से परिवार की एक महिला खातेदार को ` **5000/- तक** की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध किये जाने का प्रावधान है।

Q.20. दुर्घटना बीमा कवर क्या है? इसके प्रीमियम भुगतान कौन करेगा?

उत्तर. दुर्घटना बीमा कवर ` 1.00 लाख है और लाभार्थी से कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। एनपीसीआई प्रीमियम का भुगतान करेगा। वर्तमान में प्रति कार्ड प्रीमियम ` 0.47 है।

Q.21. यदि पति और पत्नी दोनों प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत खाते हैं तो क्या वे `1.00 लाख दुर्घटना बीमा कवर की सुविधा पाने के लिए पात्र हैं और क्या ` 5000/- के ओवरड्राफ्ट की सुविधा दोनों खातों में अलग-अलग मिलेगी?

उत्तर. `1.00 लाख का दुर्घटना बीमा कवर सभी खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। हालांकि, ` **5000/-** तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा परिवार (अधिमानतः घर की महिला) में केवल एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगा।

Q.22. प्रधानमंत्री जन -धन योजना के तहत एक खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती हैं?

उत्तर. (क) यदि आधार कार्ड / आधार संख्या उपलब्ध है तो किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। अदि आपका पता बदल गया है, तो वर्तमान पते को स्वप्रमाणित करके देना ही पर्याप्त है।

(ख) यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्न आधिकारिक वैध दस्तावेज में से किसी एक की आवश्यकता है: वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट और नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों पर आपका पता भी दर्ज है तो यह "पहचान और पते प्रमाण" दोनों रूप में स्वीकार्य हैं।

(ग) यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त "आधिकारिक वैध दस्तावेज' नहीं हैं लेकिन वह बैंकों द्वारा न्यून जोखिम की श्रेणी में आता है, तो वह निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को जमा करके एक बैंक खाता खोल सकता हैं :

अ) केन्द्रीय / राज्य सरकार के विभागों, सांविधिक /प्रबन्ध प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा आवेदक की फोटो के साथ जारी पहचान पत्र;

ख) व्यक्ति का विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ के साथ, एक सरकारी अधिकारी द्वारा जारी पत्र।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 26.08.2014 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में निम्न रूप मे स्पष्ट किया है :

" वे व्यक्ति जिनके पास कोई भी "अधिकारिक वैध दस्तावेज" नही है, वे भी बैंक में अपना "लघु खाता" खोल सकते हैं। बैंक अधिकारी की उपस्थिति में अपना स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ और अपना हस्ताक्षर या अगूँठा निशानी के आधार पर एक "लघु खाता" खोला जा सकता हैं। ऐसे खातों में सामूहिक जमा की कुछ सीमायें हैं। (एक वर्ष में रू. 1.00 लाख से अधिक नही जमा कर सकते) , कुल निकासी - एक माह में रू. 10,000/- से अधिक नहीं) और खाते में शेष राशि - एक समय में रू. 50,000/- से अधिक नहीं। इन खातों की वैधता सामान्यतया एक वर्ष की होगी। उसके पश्चात यदि, खाता - धारक ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिससे यह प्रदर्शित हो कि उसने खाता खोलने के 12 माह के अन्दर कोई भी अधिकारिक वैध दस्तावेज हेतु आवेदन कर दिया है तो ऐसा खाता खोला जा सकता है।

Q.23. यदि वर्तमान पता, आधार कार्ड पर मुद्रित पते से भिन्न है, तो क्या प्रधानमंत्री जन धन योजना में खाता खोला जा सकता है?

उत्तर. यदि पता बदल गया है, तो वर्तमान पते का स्वयं का प्रमाण पत्र पर्याप्त है।

Q.24. दिनांक 28.08.2014 के प्रधानमंत्री के भाषण में रू. 30,000/- के बीमा कवर का क्या अर्थ है?

उत्तर. दिनांक 28.08.2014 के प्रधानमंत्री के भाषण की रूपरेखा पर त्वरित रूप से कार्य हो रहा है और सामान्य जन हेतु शीघ्र ही घोषणा की जायेगी।

Q.25. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में क्या चैक बुक जारी किया जाएगा ?

उत्तर. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खाते शून्य शेष के साथ खोले जा रहे हैं। तथापि, यदि खाता-धारक इस खाते में चेक बुक प्राप्त करना चाहता है तो उसे बैंक की न्यूनतम धनराशि अवशेष रखने के सिद्धान्त को पूरा करना होगा।

Q.26. प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के साथ जुड़े प्रत्यक्ष / विशेष लाभ क्या हैं?

उत्तर. इस योजना के साथ जुड़े विशेष लाभ निम्न हैं -

I. जमा पर ब्याज.

II. रू. 1.00 लाख का दुर्घटना बीमा कवर

III. किसी न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं। तथापि रुपे कार्ड के माध्यम से किसी भी एटीएम से पैसे की निकासी के लिए, कुछ धनराशि खाते में रखे जाने की सलाह दी जाती है।

IV. रू. 30,000 का जीवन बीमा कवर (विचाराधीन)

V. पूरे भारत में धनराशि का सुगम अंतरण

VI. सरकारी योजनाओं का लाभार्थियों को इन खातों में सीधा लाभ हस्तांतरण मिलेगा

VII. 6 माह के संतोषजनक परिचालन के पश्चात, एक ओवरड्राफ्ट सुविधा

VIII. पेंशन, बीमा उत्पाद का लाभ

Q.27. मेरे पास खाता खोलने के लिए कोई भी आधिकारिक वैध दस्तावेज नही है, क्या मैं तब भी बैंक में अपना खाता खोल सकता हूँ ?

उत्तर. भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 26.08.2014 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में निम्न रूप मे स्पष्ट किया है :

“ वे व्यक्ति जिनके पास कोई भी “अधिकारिक वैध दस्तावेज” नही है, वे भी बैंक में अपना “लघु खाता” खोल सकते हैं। बैंक अधिकारी की उपस्थिति में अपना स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ और अपना हस्ताक्षर या अगूँठा निशानी के आधार पर एक “लघु खाता” खोला जा सकता हैं। ऐसे खातों में सामूहिक जमा की कुछ सीमायें हैं। (एक वर्ष में रू. 1.00 लाख से अधिक नही जमा कर सकते), कुल निकासी - एक माह में रू. 10,000/- से अधिक नहीं) और खाते में शेष राशि - एक समय में रू. 50,000/- से अधिक नहीं। इन खातों की वैधता सामान्यतया एक वर्ष की होगी। उसके पश्चात यदि, खाता - धारक ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिससे यह प्रदर्शित हो कि उसने खाता खोलने के 12 माह के अन्दर कोई भी अधिकारिक वैध दस्तावेज हेतु आवेदन कर दिया है तो ऐसा खाता खोला जा सकता है।

Q.28. PMJDY खातों में कितने ब्याज की बचत आय हो सकती है?

उत्तर. बचत बैंक खातों के लिए लागू ब्याज दर (वर्तमान में अधिकांश बैंकों में 4% की दर) ही PMJDY योजना के तहत खोले गए खातों के लिए स्वीकार्य होगा.

Q.29. PMJDY के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट सुविधा पर बैंक द्वारा कितना ब्याज लिया जाएगा?

उत्तर. आधार दर (बेस रेट) + 2% या 12% जो कम हो। वर्तमान में यह 12% होगा।

Q.30. क्या बैंक भविष्य में भी खाता खोलने का कैम्प आयोजित करेंगे?

उत्तर. हाँ। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को सभी शनिवार को प्रात: 8 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक शिविर आयोजित करने हेतु निर्देश दिया गया है। बैंक अन्य दिनों में भी अतिरिक्त शिविर लगा सकते हैं.

Q.31. यदि मेरे पास आधार कार्ड जारी करने हेतु आवश्यक प्रपत्र हो तो क्या मैं बैंक में आधार कार्ड प्राप्त कर सकता हूँ और PMJDY के अंतर्गत अपना खाता भी खोल सकता हूँ ?

उत्तर. यूआईडीएआई द्वारा आयोजित शिविर में ही आधार का पंजीकरण हो सकता है। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि खाता खुलने वाले कैम्प मे ही आधार पंजीकरण के काउंटर भी उपलब्ध हों।

Q.32. PMJDY के अंतर्गत बैंक खाता खोलने के लिए क्या कुछ शुल्क का भुगतान भी करना पड़ता है?

उत्तर. नहीं। PMJDY के अंतर्गत खाता खोलने के लिए किसी भी शुल्क की आवश्यकता नहीं है।

Q.33. क्या कोई नाबालिग (उम्र 18 वर्ष से कम) PMJDY के अंतर्गत अपना खाता खोल सकता हैं?

उत्तर. 10 वर्ष की उम्र से ऊपर का कोई भी नाबालिग किसी भी बैंक में अपना बचत बैंक खाता खोल सकता हैं।

Q.34. व्यवसाय प्रतिनिधि/ बैंक मित्र कौन है और PMJDY में इनकी क्या भूमिका है?

उत्तर. व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) बैंको द्वारा नियुक्त ऐसे प्रतिनिधि हैं जो केन्द्रों पर जहाँ ए.टी.एम. या बी. एण्ड एम. शाखाएँ सम्भव नही हैं, बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध करायेंगे। बैंक प्रतिनिधि/ बैंक मित्र के कार्यों का क्षेत्र निम्न है:-

i. बचत एवं अन्य उत्पादों के बारे में जागरूक्ता पैदा करना/ धनराशि और शिक्षा के बारे में सलाह देना और उधार के बारे में शिक्षित करना।

ii. संभावित ग्राहकों की पहचान
iii. जमा हेतु विभिन्न फार्म का संग्रहण व उस पर कार्यवाही करना जिसमे प्राथमिक सूचनाओं का सत्यापन भी शामिल है।
iv. आवेदन / खाता खोलने का फार्म भरना।
v. कम मूल्य के जमा एवं निकासी का संग्रहण।
vi. छोटी मुद्रा का प्रेषण एवं जमा/ अन्य भुगतान का निर्देश।
vii. मिनी खाता विवरणी एवं खाते सम्बन्धी अन्य जानकारी देना।
viii. बैंक की ओर से उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अन्य सेवायें प्रदान करना।

Q.35. बैंकिंग सेवायें प्रयोग करने के सम्बन्ध में बैंक मित्र हमारी कैसे सहायता प्रदान करते है?

उत्तर. बैंक मित्र कम लागत पर सीमित बैंकिंग सुविधायें पहुँचाने वाले ऐसे व्यक्ति है जो सम्बन्धित बैंक का प्रतिनिधित्व ऐसे स्थान पर करते है जहाँ बी एंड एम शाखा खोलना सम्भव नही हैं। बैंक मित्र, बैंक के प्रतिनिधि के रूप में, वित्तीय समावेशन की अवधारणा के अनुरूप व्यवसाय प्राप्ति हेतु बनाये गये उपायों के अनुरूप कार्य में सहायक सिद्ध होते हैं।

Q.36. बैंक मित्र कौन हो सकता है?

उत्तर. बैंको ने निम्न एकल/निकाय को बैंक मित्र के रूप मे शामिल करने के लिये अनुमति प्रदान की है - (1) सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी (2) सेवानिवृत्त शिक्षक (3) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी (4) भूतपूर्व सैनिक (5) किराने की दुकानो के मालिक/ दवा/एफ पी एस/ पीसीओ संचालक/ भारत सरकार की छोटी बचत योजनाओं के प्रतिनिधि/ भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत 'लाभ के लिए' कार्य करने वाली कम्पनी। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर जमा की एनबीएफसी को भी बैंक मित्र के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है।

Q.37. क्या मैं अपना PMJDY खाता दूसरे शहर/ राज्य में अपने स्थानांतरण के साथ अंतरित कर सकता हूँ ?

उत्तर. PMJDY में भाग लेने वाले सभी बैंक सीबीएस (कोर बैंकिंग सोल्यूशन) से जुड़े है और ये खाता खाता-धारक के अनुरोध के अनुसार आसानी से बैंक की किसी भी शाखा में किसी भी शहर / कस्बे में स्थानांतरित किया जा सकता है।

Q.38. ''यूएसएसडी'' आधारित लेन-देन क्या है और यह कैसे प्रयोग करते है?

उत्तर. USSD (यूएसएसडी) ''अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेण्टरी सर्विस डाटा'' का संक्षिप्त रूप है। यूएसएसडी आधारित मोबाइल बैंकिंग, मूलभूत बैंकिंग सुविधाये जैसे - मनी ट्रांसफर, बिल भुगतान, खाते में अवशेष की पूछताछ, व्यापारी का भुगतान आदि कार्य एक साधारण से जी एस एम आधारित मोबाइल फोन से प्रदान कर सकते है। वर्तमान के IMPS (तुरंत भुगतान सेवा) आधारित मोबाइल बैंकिंग की तरह इसमें फोन पर किसी आवेदन के डाउन लोड करने की आवश्यकता नही है। लेनदेन मूल हैण्डसेट वाले फोन पर भी किया जा सकता है। प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक से सम्पर्क कर अपना मोबाइल नम्बर पंजीकृत कराना होगा।

बैंक उसे एक ''एमपिन'' (मोबाइल पिन) जारी करेगा। प्रयोगकर्ता उसके बाद *99# डायल करेगा और यूएसएसडी प्रयोग करने का विकल्प खुल जायेगा। उसके बाद ग्राहक मिनू के आधार पर अनुसरण करते हुए अपना लेन देन पूरा कर सकेगा। इसके लिए दूरसंचार आपरेटर द्वारा भुगतान शुल्क (ट्राई द्वारा निर्धारित रू.1.50 प्रति लेन देन से अधिक नही) लागू हो सकता है।

****